आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 31.12.2025 समय : 0705

<><><><><><><>

- नए साल के अवसर पर सभी बार, होटल और रिसॉर्ट मालिकों को संबंधित सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ने वर्तमान वर्ष 2025 को जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुनिश्चित करने के लिये लागू शासन सुधारों को समर्पित किया।
- संयुक्त विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 के लिए रिटेल टैरिफ को मंजूरी दे दी है।
- प्रशासनिक कारणों से एम वी स्वराजद्वीप की यात्रा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है।

<><><><><><><>

नए साल के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर संभावित भीड़ को देखते हुए, सभी बार, होटल और रिसॉर्ट मालिकों को सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। आदेश के अनुसार सभी गतिविधियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अनुसार ही संचालित करने, भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने, प्रवेश और निकास द्वार पर बाधा रहित आपातकालीन निकास की व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली चालू रखने, पहचान और आयु का सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा अग्निशमन उपकरण की उपलब्धतता, ध्वनि का स्तर सीमा के भीतर और लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के अनुसार बनाए रखने, शौचालय और सार्वजनिक स्थानों सहित सभी क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। निरीक्षण के दौरान पुलिस, आबकारी, नगर निगम, अग्निशमन और अन्य प्रवर्तन अधिकारियों को सहयोग प्रदान करना होगा। सभी संबंधितों से नियमों और विनियमों का पालन करने को कहा गया है। उल्लंघनकर्ताओं पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

<><><><><><><>

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने वर्तमान वर्ष 2025 को जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुनिश्चित करने के लिये लागू शासन सुधारों को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि हाल के प्रयास न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत के तहत किए गए। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार को जन–केन्द्रित बनाने के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने, लंबित मामलों में कमी लाने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ध्यान दिया गया है। पेंशनभोगियों के कल्याण से जुडे प्रयासों का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस वर्ष नवम्बर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के चौथे चरण के अन्तर्गत एक करोड 68 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए गए। यह अब तक का सबसे बडा अभियान था। उन्होंने कहा कि एक करोड एक लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र चेहरे से पुष्टि तकनीक के बाद जमा कराये गये। उन्होंने कहा कि 2025 में केन्द्रीय मंत्रालय और विभागों में औसतन 15 दिन के अन्दर 20 लाख से अधिक जन–शिकायतों का निपटान किया गया।

<><><><><><><>

आगामी अतिविशिष्ट अतिथियों के दौरे के मद्देनजर, अंडमान निकोबार पुलिस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा आज दिन में 11 बजे तक बर्ड लाईन स्थित पुलिस फायरिंग रेंज में फायरिंग का अभ्यास किया जाएगा। सभी संबंधितों से अभ्यास के दौरान स्वयं को और अपने मवेशियों को फायरिंग रेंज से दूर रखने को कहा गया है।

<><><><><><><>

डिगलीपुर में कल नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा द्वीपसमूह में पहली बार ध्वज फहराए जाने की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर तमिलर संगम ने रविद्रिता यूथ क्लब, तिरुवल्लुवर यूथ क्लब और सुभाष ग्राम पंचायत के सहयोग से एक जुलूस का आयोजन किया। यह जुलूस तमिलर संगम परिसर से शुरू होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक पहुँची। नेताजी की प्रतिमा स्थल पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

<><><><><><><>

विद्युत विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से कहा है कि संयुक्त विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 के लिए रिटेल टैरिफ को मंजूरी दे दी है। यह नया टैरिफ 1 नवंबर से प्रभावी हो गया है। दिसंबर 2024 में जारी नए JERC दिशा–निर्देशों के अनुसार द्वीपसमूह में टैरिफ संरचना को संशोधित किया गया है।

JERC के इस संशोधन का उद्देश्य रिटेल टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाना है। इसके तहत उपयोग, वोल्टेज स्तर, अनुबंधित लोड, खपत और आपूर्ति की शर्तों के आधार पर सभी वितरण उपयोगिताओं के लिए सरलीकृत और समान उपभोक्ता श्रेणियां शुरू की गई हैं। स्वीकृत टैरिफ आदेश JERC की वेबसाइट के अलावा विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

<><><><><><><>

प्रशासनिक कारणों से एम वी स्वराजद्वीप की 2 जनवरी को सुबह दस बजे की यात्रा स्थगित की गई है। अब यह जहाज उसी दिन सुबह 10 बजे के बजाय शाम 4 बजे चेन्नई के लिए रवाना होगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य दोपहर 2 बजे से किया किया जाएगा। जहाज हैडो जेट्टी से छूटेगा।

<><><><><><><>

निकोबार जिले के 400 छात्रों का एक समूह 16 शिक्षकों के साथ आज बैरन द्वीप के शैक्षणिक दौरे पर रवाना होगा। यह दौरा शिक्षा निदेशालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने का अनुभव प्रदान करना है। यह पहल विशेष रूप से दक्षिणी द्वीप समूह के सुदूर क्षेत्रों के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है।

<><><><><><><>

शिक्षा निदेशालय की ओर से प्राइमरी स्कूल रिसोर्स टीचर के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा सभी संबंधितों की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सभी हितधारकों से दावे और आपत्तियां सहायक दस्तावेजों के साथ 30 दिनों के भीतर उप शिक्षा निदेशक (कार्मिक) के पास जमा करने को कहा गया है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर भर्ती नियमों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा और मौजूदा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान पुलिस ने एक लापता नाबालिग लड़की को सफलतापूर्वक बचा कर पश्चिम बंगाल निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिल्लीग्राउंड पुलिस थाने में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विशेष पुलिस टीम का गठन कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान उप–निरीक्षक अब्दुल शकील के नेतृत्व में टीम को कोलकाता भेजा गया। स्थानीय पुलिस के समन्वय से टीम ने नाबालिग लड़की को सुरक्षित बचाया और आरोपी को पश्चिम बंगाल के अलाईपुर से गिरफ्तार कर लिया। कानूनी औपचारिकताओं के बाद लड़की को उसके माता–पिता को सौंप दिया गया।

पुलिस ने आम जनता से किसी भी अपराध या अवैध गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अपने निकटतम पुलिस स्टेशन को देने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><>

तटीय सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री संपत्तियों की निरंतर परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए अंडमान निकोबार पुलिस ने 12–टन फास्ट इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के साथ 'नामांकन आधार' पर एक व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध को अंतिम रूप दिया है। यह समझौता कमोडोर समीर बेरा और पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल की उपस्थिति में किया गया। इसमें प्रिवेंटिव, रूटीन और ब्रेकडाउन रखरखाव, प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों की तैनाती, स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और न्यूनतम परिचालन मानकों का रखरखाव शामिल है। इस अनुबंध से जहाजों के रखरखाव के लिए तकनीकी सहायता और असली कल–पुर्जे की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

<><><><><><><>